

## संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 )

### केवल ऑन-लाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे

आवेदन-पत्र भरने से पूर्व कृपया योजना और निर्देशों को ध्यान रखें :

1. संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत सीसीआरटी संस्कृति के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति हेतु भारतीय नागरिकों से ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह अध्येतावृत्ति अनुसंधान-उन्मुख परियोजना के लिए दी जाती है। चूंकि शैक्षिक अनुसंधान और प्रदर्शन संबंधी अनुसंधान दोनों को ही प्रोत्साहित किया जाता है इसलिए अभ्यर्थी को अपनी परियोजना को पूरी करने की क्षमता का साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये अध्येतावृत्तियां प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, कार्यशालाओं का आयोजन करने, परिसंवाद या दस्तावेजी संस्मरण अथवा आत्मकथा, कल्पित-कथा लिखना, आदि के लिए नहीं हैं। यह कलाकारों के लिए एक मासिक पारिश्रमिक/वृत्तिका या पेंशन नहीं है, बल्कि परियोजना के आधार पर देय है।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए 200 कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां जिनका मूल्य रु. 10,000/- प्रतिमाह है, उन कलाकारों को प्रदान की जाएंगी जिनकी आयु 25-40 वर्ष के बीच है और यह अधिकतम दो वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 200 (दो सौ) अध्येतावृत्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।
3. आयु सीमा 01 अप्रैल, 2020 (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए) एवं 01 अप्रैल, 2021 (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए) की जन्म तिथि, योजना की अधिकतम आयु सीमा के लिए मान्य होगी।
4. ऑन-लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 27 अगस्त, 2022 है।
5. कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए अभ्यर्थी ने पूर्व में किसी भी क्षेत्र में कनिष्ठ अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं प्राप्त किया हो।
6. योजना के पैराग्राफ -II (बी) में दर्शाए गए सूचीबद्ध क्षेत्रों में आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है (परन्तु योजना के पैराग्राफ -II (ए) में दर्शाए सूचीबद्ध क्षेत्रों के लिए नहीं)।
7. **आवेदन की प्रक्रिया**

आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। कृपया ऑन लाइन फार्म भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि अन्तिम और छमाही परियोजना रिपोर्ट अंग्रेजी/हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा में प्रस्तुत करनी है तो आवेदक परियोजना का सारांश 500 शब्दों में अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद में दे सकता है या आवेदन फार्म का प्रिंट आउट अपनी चयनित भाषा में परियोजना सारांश के साथ निदेशक सीसीआरटी, 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को भेज सकते हैं।

8. प्रत्येक सफल आवेदक को सिस्टम द्वारा एक विशिष्ट नामांकन संख्या आबंटित की जाएगी। अभ्यर्थी भविष्य में सीसीआरटी या संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार करते समय उक्त संख्या का उल्लेख हमेशा करें।
9. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास भरे हुए आवेदन फार्म का एक प्रिंट आउट रखें क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के समय इसे लाने की आवश्यकता होगी। अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी को साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के समय लाने होंगे, वह शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अलग से अधिसूचित कर दिए जाएंगे।

10. आवेदक अपनी नामांकन संख्या अथवा अपना नाम उद्धृत करके आवेदन के विवरण देख सकता है अथवा प्रिंट कर सकता है। यह ध्यान में रखा जाए कि आवेदकों को आवेदन-पत्र जमा करने के बाद विवरण को संपादित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।
11. साक्षात्कार के समय, शॉर्टलिस्ट किए हुए आवेदकों में से वे आवेदक जो कहीं कार्यरत हैं, अपने संबंधित अधिकारी (नियोक्ता) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.)/सहमति-पत्र भी साथ लेकर आए।
12. यदि आवेदक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों आदि में नियुक्त हैं तो उन्हें अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) के लिए चयनित होने पर दो वर्ष की अवधि के लिए अवकाश लेना होगा। साक्षात्कार के समय, उन्हें अपने विभागाध्यक्ष/संस्थान/उपक्रम/विश्वविद्यालय आदि से इस आशय का एक लिखित आश्वासन भी सौंपना होगा कि अध्येतावृत्ति स्वीकृत होने की दशा में, वे अभ्यर्थी को अध्येतावृत्ति की राशि प्राप्त होने की अवधि में अवकाश प्रदान कर देंगे। अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए लागू अन्य शर्तों के अतिरिक्त उन्हें अवकाश स्वीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें अध्येतावृत्ति अनुदान की पहली किश्त प्रदान की जाएगी।
13. ऑन-लाइन आवेदन जमा करने में किसी भी तकनीकी कठिनाई आने पर कृपया एन आई सी सेल, संस्कृति मंत्रालय (NIC cell, Ministry of Culture) से [nic-culture@nic.in](mailto:nic-culture@nic.in) के जरिए मेल पर संपर्क करें। किसी भी जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें [fellowship.ccrta@nic.in](mailto:fellowship.ccrta@nic.in) ई-मेल करके अथवा दूरभाष नम्बर 011-25309322, 25309348 पर, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र से संपर्क किया जा सकता है।

### **चयन-प्रक्रिया और चयनित अध्येताओं की जिम्मेदारियाँ**

14. किसी भी रूप से अपूर्ण आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
15. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ-समिति सभी आवेदकों के आवेदनों और परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। अभ्यर्थी जो कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें विशेषज्ञ-समिति द्वारा एक साक्षात्कार / व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाया जाएगा जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में से कुल मिलाकर कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 अभ्यर्थियों का चयन करेगी। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए जूनियर फेलोशिप की कुल संख्या 200+200=400 है।
16. सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के लिए तिथि और स्थान के बारे में उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दिए गए ई-मेल पर सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना ई-मेल, पासवर्ड और परियोजना शीर्षक याद रखना आवश्यक है।
17. इस योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों के नाम चयन प्रक्रिया पूरी होने और संस्कृति मंत्रालय द्वारा चयन का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् सीसीआरटी और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
18. साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) की वेबसाइट [www.ccrta.gov.in](http://www.ccrta.gov.in) और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट [www.indiaculture.nic.in](http://www.indiaculture.nic.in) पर उपलब्ध होंगी।

19. यदि कोई अभ्यर्थी जिसे अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, बाद में इसके लिए किसी भी प्रकार से अयोग्य पाया जाता है तो उसे प्रदान की गई अध्येतावृत्ति रद्द कर दी जाएगी और उसे दी गई राशि उससे वसूली जाएगी।
20. अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में जिनमें समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी, अध्येतावृत्ति की आगे दी जाने वाली राशि स्वीकृत ही नहीं की जाएगी।
21. चयनित अभ्यर्थियों को उन परियोजनाओं जिनके लिए उन्हें अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, के लिए अकादमिक अथवा आवेदन-उन्मुखी अनुसंधान कार्य करने का दायित्व लेना होगा। वे अपनी परियोजनाएं दो वर्षों के भीतर पूरी करेंगे और उन्हें सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं संस्कृति मंत्रालय को सौंपेंगे। विशेष कारणों / परिस्थितियों के विचाराधीन संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से अधिकतम तीन माह की समयावधि आवेदन प्राप्त होने पर बढ़ाई जा सकेगी पर इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व नहीं होगी।
22. प्रत्येक मामले में एक वर्ष के पश्चात् मध्यावधि पुनः निरीक्षण/ प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और अध्येतावृत्ति का आगे जारी रहना ऐसे पुनः निरीक्षण / पुनरवलोकन पर निर्भर करेगा।
23. यदि इस परियोजना से संबंधित किसी मामले में कानूनी विवाद / कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो मामले पर केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अनुसार कार्रवाई मान्य होगी।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी अध्येतावृत्तियाँ (राशि) वर्तमान में अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं को सीधे संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

**टिप्पणी :** आवेदन-पत्रों की जाँच और मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकार करने/चयन करने का अधिकार संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

## संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु वरिष्ठ अध्येतावृत्ति (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 )

### केवल ऑन-लाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे

आवेदन-पत्र भरने से पूर्व कृपया योजना और निर्देशों को ध्यान रखें :

1. संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत सीसीआरटी संस्कृति के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ अध्येतावृत्ति हेतु भारतीय नागरिकों से ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह अध्येतावृत्ति अनुसंधान-उन्मुख परियोजना के लिए दी जाती है। चूंकि शैक्षिक अनुसंधान और प्रदर्शन संबंधी अनुसंधान दोनों को ही प्रोत्साहित किया जाता है इसलिए अभ्यर्थी को अपनी परियोजना को पूरी करने की क्षमता का साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये अध्येतावृत्तियां प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, कार्यशालाओं का आयोजन करने, परिसंवाद या दस्तावेजी संस्मरण अथवा आत्मकथा, कल्पित-कथा लिखना, आदि के लिए नहीं हैं। यह कलाकारों के लिए एक मासिक पारिश्रमिक/वृत्तिका या पेंशन नहीं है, बल्कि परियोजना के आधार पर देय है।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए 200-200 वरिष्ठ अध्येतावृत्तियां जिनका मूल्य रु. 20,000/- प्रतिमाह है, उन कलाकारों को प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और यह अधिकतम दो वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 200 (दो सौ) अध्येतावृत्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित है।
3. आयु सीमा 01 अप्रैल, 2020 (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए) एवं 01 अप्रैल, 2021 (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए) की जन्म तिथि, योजना की अधिकतम आयु सीमा के लिए मान्य होगी।
4. ऑन-लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 27 अगस्त, 2022 है।
5. वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदक के संस्कृति मंत्रालय द्वारा असहाय परिस्थितियों में कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत कलाकार पेंशन प्राप्तकर्त्ता नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी क्षेत्र में पहले वरिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त न की गई हो। तथापि एक अभ्यर्थी जिसने पहले कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त की है वह वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते पहली परियोजना के समाप्त होने के बाद 5 वर्ष का अन्तराल हो गया हो।
6. योजना के पैराग्राफ -II (बी) में दर्शाए गए सूचीबद्ध क्षेत्रों में आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है (परन्तु योजना के पैराग्राफ -II (ए) में दर्शाए सूचीबद्ध क्षेत्रों के लिए नहीं)।

### आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। कृपया ऑन लाइन फार्म भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि अन्तिम और छमाही परियोजना रिपोर्ट अंग्रेजी/हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा में प्रस्तुत करनी है तो आवेदक परियोजना का सारांश 500 शब्दों में अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद में दे सकता है या आवेदन फार्म का प्रिंट आउट अपनी चयनित भाषा में परियोजना सारांश के साथ निदेशक, सीसीआरटी, 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को भेज सकते हैं।

8. प्रत्येक सफल आवेदक को सिस्टम द्वारा एक विशिष्ट नामांकन संख्या आबंटित की जाएगी। अभ्यर्थी भविष्य में सीसीआरटी या संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार करते समय उक्त संख्या का उल्लेख हमेशा करें।
9. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भरे हुए आवेदन फार्म का एक प्रिन्ट आउट अपने पास रखें, जो उन्हें उनके शार्टलिस्ट हो जाने के पश्चात् सीसीआरटी को भेजना होगा। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज, जो अभ्यर्थी को विचारणार्थ भेजने होंगे, वे शार्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थियों को अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

10. आवेदक अपनी नामांकन संख्या अथवा अपना नाम उद्धृत करके आवेदन का उपयोग कर सकता है और आवेदन के विवरण देख सकता है अथवा प्रिंट कर सकता है। यह ध्यान में रखा जाए कि आवेदकों को आवेदन-पत्र जमा करने के बाद विवरण को संपादित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।
11. अपने आवेदन की हार्ड कॉपी भेजते समय शार्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थी को अपने संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) / सहमति पत्र भेजना होगा।
12. यदि आवेदक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों आदि में नियुक्त हैं तो उन्हें अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) के लिए चयनित होने पर दो वर्ष की अवधि के लिए अवकाश लेना होगा। साक्षात्कार के समय, उन्हें अपने विभागाध्यक्ष/संस्थान/उपक्रम/विश्वविद्यालय आदि से इस आशय का एक लिखित आश्वासन भी सौंपना होगा कि अध्येतावृत्ति चयनित / स्वीकृत होने की दशा में, वे अभ्यर्थी को अध्येतावृत्ति की राशि प्राप्त होने की अवधि में अवकाश प्रदान कर देंगे। अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए लागू अन्य शर्तों के अतिरिक्त उन्हें अवकाश स्वीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें अध्येतावृत्ति अनुदान की पहली किस्त प्रदान की जाएगी।
13. ऑन-लाइन आवेदन जमा करने में किसी भी तकनीकी कठिनाई आने पर कृपया एन आई सी सेल, संस्कृति मंत्रालय (NIC cell, Ministry of Culture) से [nic-culture@nic.in](mailto:nic-culture@nic.in) के जरिए मेल पर संपर्क करें। किसी भी जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें [fellowship.ccr@nic.in](mailto:fellowship.ccr@nic.in) ई-मेल करके अथवा दूरभाष नम्बर 011-25309322, 25309348 पर, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र से संपर्क किया जा सकता है।

### चयन-प्रक्रिया और चयनित अध्येताओं की जिम्मेदारियाँ

14. किसी भी रूप से अपूर्ण आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
15. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ-समिति सभी आवेदकों के आवेदनों और परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और उनमें से योजना के अनुरूप आवेदकों का चयन करेगी। सीनियर फेलोशिप के लिए अभ्यर्थियों को विस्तृत परियोजना को डाक द्वारा सीसीआरटी, नई दिल्ली में जमा करना होगा। विस्तृत परियोजना प्रस्तावों का निरीक्षण विशेषज्ञ-समिति द्वारा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में से कुल मिलाकर वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 अभ्यर्थियों का चयन करेगी। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए वरिष्ठ फेलोशिप की कुल संख्या  $200+200=400$  है।
16. सभी अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में दिए गए ई-मेल पर दस्तावेजी आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने ई-मेल आइडी और संबंधित संकेत-शब्द (पासवर्ड) याद रखना आवश्यक है।
17. इस योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों के नाम चयन-प्रक्रिया पूरी होने और संस्कृति मंत्रालय द्वारा चयन का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् सीसीआरटी और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
18. चयनित किए गए अभ्यर्थियों की सूची सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) की वेबसाइट [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in) पर और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट [www.indiaculture.nic.in](http://www.indiaculture.nic.in) पर उपलब्ध होगी।

19. यदि कोई अभ्यर्थी जिसे अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, बाद में इसके लिए किसी भी प्रकार से अयोग्य पाया जाता है तो उसे प्रदान की गई अध्येतावृत्ति रद्द कर दी जाएगी और उसे दी गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।
20. अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में जिनमें समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी, अध्येतावृत्ति की आगे दी जाने वाली राशि स्वीकृत ही नहीं की जाएगी।
21. चयनित अभ्यर्थियों को उन परियोजनाओं जिनके लिए उन्हें अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, के लिए अकादमिक अथवा आवेदन-उन्मुखी अनुसंधान कार्य करने का दायित्व लेना होगा। वे अपनी परियोजनाएं दो वर्षों के भीतर पूरी करेंगे और उन्हें सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं संस्कृति मंत्रालय को सौंपेंगे। विशेष कारणों /परिस्थितियों के विचाराधीन संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से अधिकतम तीन माह की समयावधि आवेदन प्राप्त होने पर बढ़ाई जा सकेगी पर इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व नहीं होगी।
22. प्रत्येक मामले में एक वर्ष के पश्चात् मध्यावधि पुनःनिरीक्षण/ प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और अध्येतावृत्ति का आगे जारी रहना ऐसे पुनःनिरीक्षण / पुनरवलोकन पर निर्भर करेगा।
23. यदि इस परियोजना से संबंधित किसी मामले में कानूनी विवाद / कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो मामले पर केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अनुसार कार्रवाई मान्य होगी।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी अध्येतावृत्तियाँ (राशि) वर्तमान में अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं को सीधे संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

**टिप्पणी :** आवेदन-पत्रों की जाँच और मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकार करने/चयन करने का अधिकार संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।